North Asian International Research Journal of Social Science & Humanities

ISSN: 2454-9827 Vol. 11, Issue-12 December -2025

IRJIF I.F. : 3.015

Index Copernicus Value: 57.07 Indian Citation Index Thomson Reuters ID: S-8304-2016

NAIRJC A Peer Reviewed Refereed Journal

# लोकतान्त्रिक भारत में व्यक्ति की शिक्षा का महत्व तथा साक्षरता

**राजेंद्र कुमार सहनी**

बी.एड, (एम. ए.) एजुकेशन

शोधार्थी

साईं नाथ विश्वविद्यालय, राँची

## भूमिका

:

शिक्षा सीखने की क्रिया द्वारा व्यक्ति का विकास संभव है। यह उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी पहलुओं का ऊर्ध्वमुखी विकास करती है। यह मानव समाज के विकास के लिए हमेषा से एक सतत् क्रिया और आधार रही है। यह व्यक्ति तथा समाज दोनों की मनोवृत्तियों—मूल्यों तथा ज्ञान और कौशल आदि का विकास करती हुई उसकी क्षमताओं का अधिकाधिक अभिवर्द्धवन करती है, एवं बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप समर्थ, दृढ़ व नमनशील बनने की शक्ति एवं अभिप्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार, यह उन्हें, न केवल सामाजिक विकास के लिए प्रेरित करती है अपितु उसमें योगदान देने के योग्य बनाती है। इतना ही नहीं, यह मानव संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और फिर ये मानव संसाधन ही राष्ट्रों का वांछित विकास करते हैं।

शिक्षा, वस्तुतः समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का प्रतिबिम्ब होती है। शिक्षित समाज ही सच्ची मानवता के कल्याण का साधक बनता है। यह प्रगति का मापदण्ड है। सभ्यता, शिक्षा से ही सुसंस्कृत होती है। शिक्षा ही लोकतंत्र का अमोघ अस्त्र है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को वे गुण, आदतें, विचार, ज्ञान और कौशल आदि प्राप्त होते हैं जिससे लोकतंत्र श्री और सफलता को प्राप्त करता है। स्वतंत्रता के उपरान्त, हम भारतवाषियों ने भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया है। लोकतंत्र, मानवीय व्यक्तित्व की मूल्यवत्ता, इसके अधिकारों की रक्षा, इसकी स्वतंत्रता, उसके प्रति न्याय व समता का व्यवहार तथा इन्हीं षक्तियों एवं योग्यताओं के सम्मान का हामी है यह मानव को विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। यह शान्ति, सद्भावना, सहयोग और समन्वय के तरीकों का विश्वासी है।

मुख्य शब्द : लोकतान्त्रिक भारत, शिक्षा का महत्व, साक्षरता

**लोकतान्त्रिक भारत में व्यक्ति की शिक्षा का महत्व तथा साक्षरता :**

शिक्षा एक साधन है, जिसके माध्यम से एक समूचा समाज अथवा राज्य अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तत्पर होता है, योग्य बनता है। इसीलिए प्लेटो ने जब अपने आदर्श राज्य की कल्पना की, तब उसने अपने अभिभावक वर्ग के लिए आदर्श शिक्षा की व्यवस्था भी की। निश्चित रूप से वह जानता था कि जब शिक्षा राज्य की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप होगी, तभी उसका आदर्श राज्य अस्तित्व में आ सकेगा व सुरक्षित रह सकेगा।

जहाँ तक लोकतन्त्रात्मक व प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था का प्रसंग है, शिक्षा की यहाँ भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो उठती है, क्योंकि लोकतन्त्र में शासन सत्ता मूल रूप से जनता के हाथ में होती है, उसी के आदेश पर शासन की बागडोर एक राजनैतिक दल संभालता है और दूसरा राजनैतिक दल सत्ता खो देता है। प्रसिद्ध विद्वान राबर्ट ए दहल ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए स्वीकार किया है कि – ”लोकतंत्र एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था है, जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने में समान अवसर मिलता है।”

वासरमैन ने लोकतंत्र को एक सामाजिक दर्शन के रूप में स्वीकार करते हुए कहा है कि अपने विस्तृत अर्थ में लोकतंत्र एक सामाजिक दर्शन है जो सम्पूर्ण मानवीय सम्बन्धों (व्यक्तिगत और सामूहिक) को नियमित करता है। यह अपने चरित्र में गतिशील है और बदलते हुए तकाजों के प्रति संवेदनशील है। लोकतंत्र समाज के, सरकार के अथवा आर्थिक व्यवस्था के पूर्ण प्रारूप के रूप में ही नहीं देखना चाहिए। अपने विकास की प्रक्रिया में यह किसी भी बिन्दु पर अपरिवर्तनशील नहीं होता। यह जिन संस्थाओं को अस्तित्व में लाता है वे लचीली और परिवर्तनशील होती है और वे विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न लोगों के बीच भिन्न–भिन्न प्रकार की हो सकती है।''

जहाँ वासरमैन के उपरोक्त कथन में लोकतन्त्र का गतिशील स्वरूप स्पष्ट होता है वहीं जॉन डीवी ने लोकतंत्र को एक सामाजिक व्यवस्था माना है। जान, डी0 वी0 के कथनानुसार–”एक समाज वहाँ तक के लिए लोकतांत्रिक है जो उसके अच्छे के लिए समान धरातल पर सभी सदस्यों के सहभागिता की व्यवस्था करता है और जो सामूहिक जीवन के विभिन्न रूपों के अन्तक्रिया द्वारा उसके संस्थाओं के लिए नमनीय

समसमायोजन उपलब्ध करता है।" दृष्टव्य है कि जॉन डीवी का प्रमुख बल विभिन्न क्षमताओं के सन्दर्भ में व्यक्तियों के सामाजिक सहभागिता में समान अवसर पर है।

डॉ0 आत्मानन्द मिश्र ने लोकतंत्र के राजनैतिक स्वरूप के साथ–साथ इसके आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर भी प्रकाश डाला है। उनके कथनानुसार–"प्रजातन्त्र के राजनैतिक संगठन में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन होता है जो समवेत होकर कानून बनाते हैं।

राजनैतिक संगठन के अतिरिक्त प्रजातन्त्र के अपने आर्थिक और सामाजिक क्षितिज भी हुआ करते हैं। इन क्षितिजों में समानता न्याय और स्वतन्त्रता की व्यवस्था होती है। इस तरह प्रजातंत्र व्यक्ति एवं समाज के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को हितकारी ढंग से चलाने एवं नियमित बनाने का एक साधन है। व्यापक अर्थ में प्रजातंत्र समूचे जीवन–यापन का ही एक तरीका माना जायेगा।"

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लोकतन्त्र शब्द का राजनैतिक अर्थ के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक अर्थ भी है और एक प्रकार से यह सारे जीवन के ढंग को अपने में समेट लेता है।

प्रोफेसर सलामत उल्ला ने लोकतन्त्र के सन्दर्भ में ठीक ही कहा है। कि "आधुनिक समय में सम्भवतः दूसरा शब्द नहीं है जो लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक व्यवहार में प्रयुक्त होता है। यह धारणा अपने आप में इतना व्यापक तथा अपने अर्थ में इतनी दुर्गाह्य है कि प्रायः इसमें कुछ भी सम्मिलित किया जा सकता है। सभी इस पर अत्यधिक निष्ठा रखते हैं। लेकिन इसके अर्थ के प्रति सहमति का एक आश्चर्यजनक अभाव है। यह एक जटिल मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके विभिन्न पक्ष युगों तक विकसित होते रहे। हैं। लोकतन्त्र अब केवल राजनैतिक अर्थ तक ही सीमित नहीं है, अब यह जीवन की एक शैली समझा जाने लगा है और इस रूप में यह जीवन के सांसारिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को भी समेटता है।"

इसी सन्दर्भ में जार्ज काउन्ट के विचारों का अवलोकन भी तथ्यों को स्पष्ट करने में अत्यधिक सहायक प्रतीत होता है। लोकतंत्र के सन्दर्भ में इनके विचार हैं कि "व्यक्ति शासन के द्वारा स्वतन्त्र नहीं बनाये जा सकते हैं। वे उन परिस्थितियों के द्वारा स्वतन्त्र या पराधीन बनाये जाते हैं जिसके अन्तर्गत वे अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र शासन से एक प्रकार से कहीं कुछ अधिक है। यह मन की एक अभिवृत्ति है, जिसके तहत मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण धृणित है, यह जीवन की राह है, जिसमें मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च और अनन्त महत्व को आँका जा सकता है, यह सामाजिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था

है जो कि सामान्य समुदाय के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के उन्नयन के लिए समर्पित है। यह है एक शब्द में–एक 'समाज' जिसमें साधारण पुरूष और नारी अपनी पूरी महत्ता तक विकसित हो सकते हैं, व्यक्तियों का एक समाज लोगों द्वारा और लोगों के लिए।"

लोकतान्त्रिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों के जो कि उपयुक्त विचारों में स्पष्ट होते हैं, दृष्टि से व्यक्तियों का समुचित विकास किया जाना अपरिहार्य है। इसके लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है और इसी कारण लोकतांन्त्रिक समाज में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ऐसे समाज में शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों से प्रभावित होती है।

डॉ0 आत्मानन्द मिश्र ने उचित ढंग से इस ओर संकेत किया है कि "प्रजातंत्र के विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण में चिंतन और कार्य दोनों का अपना ढंग है जिसका प्रधान लक्षण अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता'। सब नागरिक विचार–विमर्श, आदान–प्रदान एवं सहयोग द्वारा जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं और जिस बात को अधिक संख्या के लोग मानते हैं, वह सर्वमान्य समझी जाती है। व्यक्ति जहाँ एक ओर अपने अधिकारों की ओर सजग रहता है, वहीं दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी तत्पर रहता है यह विचारधारा चिंतन, अभिव्यक्ति एवं कर्म स्वातंत्र्य–बड़े अंतरंग रूप से शिक्षा प्रणाली का निर्माण और दिशान्तरण करती है।"

प्रो0 अदावल और अग्रवाल ने लोकतंत्र में शिक्षा की अपरिहार्यता स्वीकार करते हुए ऐसी शिक्षा की विशेषता की ओर निम्नांकित शब्दों में संकेत किया है–"....इस प्रकार जनतन्त्रीय शासन में सर्वशासन की पद्धति अपनायी जाती है इसीलिए उसे जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन कहा जाता है। ... अपने नागरिकों के बहुसुखी विकास के लिए जनतन्त्रीय राज्य उत्तरदायी होता है और इस निमित्त वह शिक्षा का सहारा लेता है। शिक्षा ऐसे राज्यों की आधारशिला होती है। जनतंत्रीय शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उच्चतम योग्यताओं के अधिकतम् विकास का अवसर मिलता है। इसमें स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के साथ ही राष्ट्रीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

डॉ0 सीताराम जायसवाल ने शिक्षा में लोकतंत्र के प्रभाव की ओर संकेत करते हुए उसके दायित्व की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार–"....आत्मा की स्वतंत्रता को तथा व्यक्ति के चतुर्दिक विकास को सम्भव बनाना चाहिए। लोकतंत्र का निचोड़ व्यक्ति के नैतिक स्वभाव में निहित रहता है। उसे ईमानदारी और निष्ठा तथा सभी के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। उसे करने में लोकतंत्र के गतिशील स्वरूप को दृष्टिगत करना और सत्तावादी प्रवृत्तियों को कड़ाई से नियंत्रित करना चाहिए।''

इसी प्रतिवेदन में लोकतान्त्रिक शिक्षा के विशेषताओं के सन्दर्भ में कहा गया है कि "प्रजातंत्र में शिक्षा को बहुत अधिक समय तक व्यवहारिक राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इसे नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक विषयों में एक ठोस आधार से और उनके निर्णय को तीखा करने से सज्जित करना चाहिए। इसे व्यक्ति की चिन्ता और प्रयत्नों – राजनीति, सार्वजनिक मामले, मजदूर यूनियन, कार्यकलाप, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रतिबद्धता और साहसिक कार्य को उत्साहित करना चाहिए तथा अपनी स्वतन्त्र इच्छा तथा व्यक्तिगत पसन्द को प्रमाणिक बनाये रखने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। इसे प्रत्येक को प्रचार के दुरूपयोग के विरूद्ध सर्वव्यापक संदेशों और जनसंचार के माध्यम की लालचों के विरूद्ध मनमुटाव और यहाँ तक कि शिक्षा–विरोधी जो कि वे माध्यम ला सकते हैं, के खतरों के खिलाफ लड़ने के लिए शिक्षित करना चाहिए।''

अभी तक जो भी विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था एक शासन व्यवस्था नहीं है वरन् एकजीवन जीने का ढंग है। इसमें समाज के विभिन्न पक्षों यथा–सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि पर लोकतंत्र के आदर्श का प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है अतः ऐसे समाज में नागरिकों के सम्यक् विकास की दृष्टि से शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। लोकतंत्रीय आदर्श शिक्षा को भी पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं और शिक्षा से विशिष्ट अपेक्षायें भी की जाती हैं। आज संसार के विभिन्न राष्ट्रों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है और जहाँ यह नहीं है वहाँ के लोग इसे प्राप्त करने के प्रयासों में संलग्न है।

शताब्दियों की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के पश्चात् जब भारत ने स्वतन्त्रता की खुली हवा में सांस ली, तो एक तरह से निश्चित ही था कि लोकतंत्र भारत के स्वतन्त्र संविधान का आधार स्तम्भ होगा।

संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना में ही प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी थी

भारत जैसे लोकतंत्र में शिक्षा की महत्ता को हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा था इसीलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह संकल्प लिया था–'राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर के सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।"

जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, कर्तव्यों का पालन करने के लिए तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। प्रायः साक्षरता को शिक्षित

होने का मानदण्ड माना जाता है अतः आवश्यक है कि भारत में सभी साक्षर हों। भारत में इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही साक्षरता की जो स्थिति रही है उसे तालिका 1.1 में प्रस्तुत किया है :

### तालिका 1.1 : भारत में साक्षरता दर–प्रति एक हजार

| जनगणना वर्ष | पुरुष | महिला | व्यक्ति |
|---|---|---|---|
| 1901 | 98 | 6 | 53 |
| 1911 | 106 | 11 | 59 |
| 1921 | 122 | 18 | 72 |
| 1931 | 156 | 29 | 95 |
| 1941 | 249 | 73 | 161 |
| 1951 | 249 | 79 | 167 |
| 1961 | 344 | 130 | 240 |
| 1971 | 395 | 187 | 294 |
| 1981 | 469 | 248 | 362 |
| 1991 | 641 | 393 | 522 |
| 2001 | 756 | 542 | 654 |
| 2011 | 821 | 655 | 740 |

श्रोत : जनगणना, 2011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 व्यक्तियों में मात्र 53 या 5.3 प्रतिशत साक्षर थे, जिसमें 98 या 9.8 प्रतिशत पुरूष एवं 6 या 0.6 प्रतिशत महिलायें थी लेकिन 1941 में साक्षरता बढ़कर 16.1 प्रतिशत हो गई जिसमें 24.9 प्रतिशत पुरूष एवं 7.3 प्रतिशत महिलाएं थीं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 16.7 प्रतिशत थी और इसमें पुरूष एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रम से 46.9 एवं 24.8 हो गया।

उपरोक्त आंकड़ों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व साक्षरता का प्रतिशत बहुत मन्द गति (वर्ष 1901 में 5.3 एवं वर्ष 1941 में 16.1 प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन 15 अगस्त, 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात् साक्षरता का प्रतिशत तीव्र गति (वर्ष 1951 में 16.7 एवं वर्ष 1981 में 36.2 प्रतिशत) से बढ़ा, जिसका कारण है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न शासकीय और गैर शासकीय प्रयास हुए, फिर भी लगभग आधे पुरूष तथा तीन चौथाई स्त्रियाँ अभी भी अशिक्षित रही। कुल जनसंख्या में ऐसे अशिक्षितों का प्रतिशत 63.0 से भी अधिक रही। इस प्रकार प्रत्येक दशक अर्थात् 1991,

2001 एवं 2011 में यह साक्षरता प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है जो कि क्रमशः 52.2 प्रतिशत, 65.4 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत है फिर भी यह विचारणीय तथ्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम शत–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके।

यहाँ स्त्री एवं पुरूष की साक्षरता प्रतिशत में ही अन्तर नहीं है वरन्। विभिन्न प्रदेशों में भी साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त असमानता है। प्रदेशों के अनुसार साक्षरता प्रतिशत तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : भारत में साक्षरता दर (जनगणना) राज्य वार

| State/Union Territory | 1991 | | | 2001 | | | 2011 | | | Rural | | | Urban | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Persons | Male | Female | Persons | Male | Female | Persons | Male | Female | Persons | Male | Female | Persons | Male | Female |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| India | 52 | 64 | 39 | 65 | 75 | 54 | 74 | 82 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| Anddhra Pradesh | 44 | 55 | 33 | 61 | 70 | 50 | 68 | 76 | 60 | 70 | 52 | 61 | 86 | 75 | 81 |
| Arunachal Pradesh | 42 | 52 | 30 | 54 | 64 | 44 | 67 | 74 | 60 | 69 | 54 | 62 | 89 | 79 | 85 |
| Assam | 53 | 62 | 43 | 63 | 71 | 55 | 73 | 79 | 67 | 77 | 64 | 70 | 92 | 86 | 89 |
| Bihar | 38 | 51 | 22 | 47 | 60 | 33 | 64 | 73 | 53 | 72 | 51 | 62 | 84 | 72 | 79 |
| Chhatisgah | 43 | 58 | 28 | 65 | 77 | 52 | 71 | 81 | 61 | 78 | 55 | 67 | 92 | 78 | 85 |
| Goa | 76 | 84 | 67 | 82 | 88 | 75 | 87 | 93 | 82 | 92 | 77 | 84 | 93 | 85 | 89 |
| Gujrat | 61 | 73 | 49 | 69 | 80 | 58 | 79 | 87 | 71 | 83 | 62 | 73 | 92 | 82 | 88 |
| Haryana | 56 | 69 | 41 | 68 | 79 | 56 | 77 | 85 | 67 | 83 | 61 | 73 | 89 | 76 | 84 |
| Himachal Pradesh | 64 | 75 | 52 | 77 | 85 | 67 | 84 | 91 | 77 | 90 | 75 | 83 | 94 | 89 | 91 |
| Jammu & Kashmir | - | - | - | 56 | 67 | 43 | 69 | 78 | 58 | 76 | 53 | 65 | 85 | 70 | 78 |
| Jharkhand | 41 | 56 | 26 | 54 | 67 | 39 | 68 | 78 | 56 | 75 | 50 | 62 | 90 | 76 | 83 |
| Karnatka | 56 | 67 | 44 | 67 | 76 | 57 | 76 | 83 | 68 | 78 | 60 | 69 | 91 | 82 | 86 |
| Kerla | 90 | 94 | 86 | 91 | 94 | 88 | 94 | 96 | 92 | 95 | 91 | 93 | 97 | 93 | 95 |
| Madhya Pradesh | 45 | 59 | 29 | 64 | 76 | 50 | 71 | 81 | 61 | 77 | 53 | 65 | 90 | 77 | 84 |
| Maharashtra | 65 | 77 | 52 | 77 | 86 | 67 | 83 | 90 | 75 | 86 | 67 | 77 | 94 | 85 | 90 |
| Manipur | 60 | 72 | 48 | 71 | 80 | 61 | 80 | 86 | 73 | 84 | 70 | 77 | 92 | 80 | 86 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meghalaya | 49 | 53 | 45 | 63 | 65 | 60 | 75 | 77 | 78 | 73 | 69 | 71 | 93 | 89 | 91 |
| Mizoram | 82 | 86 | 79 | 89 | 91 | 87 | 92 | 94 | 89 | 88 | 80 | 84 | 99 | 98 | 98 |
| Nagaland | 62 | 68 | 55 | 67 | 71 | 62 | 80 | 83 | 77 | 79 | 72 | 76 | 92 | 88 | 90 |
| Odisha | 49 | 63 | 35 | 63 | 75 | 51 | 73 | 82 | 64 | 80 | 61 | 71 | 92 | 81 | 86 |
| Punjab | 59 | 66 | 50 | 70 | 75 | 63 | 77 | 81 | 71 | 78 | 66 | 72 | 87 | 80 | 84 |
| Rajasthan | 39 | 55 | 20 | 60 | 76 | 44 | 67 | 81 | 53 | 77 | 46 | 62 | 89 | 72 | 81 |
| Sikkim | 59 | 66 | 47 | 68 | 76 | 60 | 82 | 87 | 76 | 85 | 73 | 80 | 93 | 85 | 89 |
| Tamil Nadu | 63 | 74 | 51 | 74 | 82 | 64 | 80 | 87 | 74 | 82 | 66 | 74 | 92 | 83 | 87 |
| Tripura | 60 | 71 | 50 | 73 | 81 | 65 | 88 | 92 | 83 | 91 | 80 | 86 | 96 | 91 | 94 |
| Uttar Pradesh | 41 | 55 | 24 | 56 | 69 | 42 | 70 | 79 | 59 | 78 | 56 | 68 | 82 | 72 | 77 |
| Uttaranchal | 58 | 73 | 42 | 72 | 83 | 60 | 80 | 88 | 71 | 88 | 67 | 77 | 90 | 80 | 85 |
| West Bengal | 58 | 68 | 47 | 69 | 77 | 60 | 77 | 83 | 71 | 80 | 66 | 73 | 89 | 82 | 86 |
| Union Territory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A.& N. Island | 73 | 79 | 66 | 81 | 86 | 75 | 86 | 90 | 82 | 89 | 80 | 84 | 93 | 86 | 90 |
| Chandigarh | 78 | 82 | 72 | 82 | 86 | 77 | 86 | 91 | 81 | 87 | 74 | 82 | 91 | 82 | 87 |
| D. & N. Haweli | 41 | 54 | 27 | 58 | 71 | 40 | 78 | 86 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| Daman & Diu | 71 | 83 | 59 | 78 | 87 | 67 | 87 | 91 | 80 | 90 | 72 | 82 | 92 | 83 | 89 |
| Delhi | 75 | 82 | 67 | 82 | 87 | 75 | 86 | 91 | 81 | 90 | 74 | 83 | 91 | 81 | 86 |
| Lakshadweep | 82 | 90 | 73 | 87 | 93 | 81 | 92 | 96 | 88 | 96 | 89 | 92 | 96 | 88 | 92 |
| Punducherry | 75 | 84 | 66 | 81 | 89 | 74 | 87 | 96 | 81 | 88 | 74 | 81 | 94 | 85 | 89 |

Source : mospi.nic.in

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतवर्ष में 28 राज्य एवं 7 केन्द्रशासित (कुल 35) प्रदेश हैं जिनमें साक्षरता की दृष्टि से असमानता है। राज्यों में साक्षरता की स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट है कि सबसे अधिक साक्षरता (94 प्रतिशत) केरल राज्य में एवं सबसे कम साक्षरता का प्रतिशत 67 प्रतिशत राजस्थान में है। साक्षरता की उपरोक्त तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान राज्यों में 19वाँ है और यहाँ पर साक्षरता लगभग 70 प्रतिशत है। जो कि सामान्य से कम है।

प्राचीन समय से ही भारत में कतिपय जातियाँ ऐसी रही हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक श्रेणी के अनुसार निम्नतम् स्थिति में थी इन्हें शूद्र अन्त्यज, हरिजन आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। इन सबकों स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में उल्लिलिखित किया गया है। वर्ष 1981 में इनकी जनसंख्या 10, 47, 54, 623 एवं 5, 16, 23, 628 थी जो कि कुल जनसंख्या का क्रम से 15.29 एवं 7.53 प्रतिशत हैं।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य जाति के पुरूष एवं महिलाओं की साक्षरता का विवरण तालिका 1.3 में प्रस्तुत किया गया है

## तालिका 1.3
## नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य जाति के पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता

| ग्रामीण | | | | नगरीय | | | | योग | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जाति | पुरुष | महिला | योग | जाति | पुरुष | महिला | योग | जाति | पुरुष | महिला | योग |
| अनु0 जाति संख्या | 3,62,51,548<br>72,63061 | 3,41,79,342<br>17,29,360 | 204,41,388<br>89,97,423 | अनु0 जाति संख्या | 50,76,457<br>19,26,469 | 44,78,021<br>7,61,017 | 95,54,508<br>27,37,486 | अनु0 जाति संख्या | 4,43,35,035<br>91,94,530 | 3,84,57,367<br>24,90,377 | 7,33,35,896<br>1,17,34,907 |
| साक्षर | (20.04) | (5.06) | (12.77) | साक्षर | (37.95) | (16.99) | (28.65) | साक्षर | (22.24) | (6.44) | (14.67) |
| अनु0 जनजाति संख्या | 1,34,32,274<br>31,29,423 | 1,32,21,807<br>7,94,022 | 3,67,20,681<br>39,23,434 | अनु0 जनजाति संख्या | 6,82,576<br>2,53,144 | 6,11,905<br>1,20,201 | 12,94,481<br>3,73,345 | अनु0 जनजाति संख्या | 1,91,81,450<br>33,82,567 | 1,88,43,712<br>9,14,212 | 3,80,15,162<br>4,29,96,779 |
| साक्षर | (16.92) | (4.36) | (10.69) | साक्षर | (37.09) | (19.64) | (28.83) | साक्षर | (17.63) | (4.85) | (11.30) |
| अन्य जाति संख्या | 17,04,52,562<br>6,56,60,063 | 16,12,34,363<br>2,56,16,462 | 33,16,93,431<br>9,12,76,525 | अन्य जाति संख्या | 5,29,58,507<br>3,38,06,251 | 4,52,86,753<br>2,03,50,500 | 9,82,45,320<br>5,41,06,751 | अन्य जाति संख्या | 22,34,17,129<br>9,94,66,314 | 14,49,11,622<br>4,59,66,562 | 42,99,38,751<br>14,53,83,276 |
| साक्षर | (33.52) | (15.39) | (27.52) | साक्षर | (63.83) | (44.94) | (55.60) | साक्षर | (44.52) | (31.72) | (33.81) |
| योग संख्या | 22,52,33,934<br>7,50,57,547 | 21,36,36,516<br>2,31,39,333 | 13,53,55,500<br>10,43,97,380 | योग संख्या | 5,87,17,630<br>3,59,85,864 | 5,03,76,679<br>2,12,31,718 | 10,90,94,309<br>5,72,17,582 | योग संख्या | 28,39,36,614<br>11,20,43,411 | 26,44,13,195<br>4,93,71,151 | 54,79,49,809<br>16,14,14,962 |
| साक्षर | (33.77) | (13.77) | (23.74) | साक्षर | (61.29) | (42.14) | (52.45) | साक्षर | (39.46) | (18.67) | (29.46) |

श्रोत : जनगणना, 2011

## तालिका 1.4 : माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का कुल नामांकित विद्यार्थियों में प्रतिशत एवं उसमें वृद्धि

| कक्षा | वर्ष | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | कुल नामांकन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्रायें | कुल संख्या | छात्र | छात्रायें | कुल संख्या | छात्र | छात्रायें | कुल संख्या |
| | 1973 सं0 | 5391961 | 2685519 | 8077840 | 2422799 | 1142911 | 3564810 | 38145765 | 23109485 | 61255250 |
| | प्र0 | 14.4 | 11.62 | 13.19 | 6.35 | 4.94 | 5.82 | | | |
| 1 से 6 | 1978 सं0 | 6634193 | 3472704 | 10106897 | 2874442 | 1434618 | 4309060 | 42350994 | 26251230 | 6860224 |
| | प्र0 | 15.66 | 13.23 | 14.73 | 6.79 | 5.46 | 6.28 | | | |
| | प्रतिशत में वृद्धि | 1.52 | 1.61 | 1.54 | 0.64 | 0.52 0.46 | | | | |
| | 1973 सं0 | 9,23,623 | 2,95,105 | 12,18,728 | 2,94,733 | 1,14,904 | 4,09,637 | 96,52,786 | 42,97,169 | 139,49,955 |
| | प्र0 | 9.57 | 6.87 | 8.74 | 3.05 | 2.67 2.94 | | | | |
| | 1978 सं0 | 14,92,745 | 5,19,667 | 20,12,412 | 4,44,844 | 1,64,310 | 6,09,154 | 1,20,86,269 | 58,72,208 | 1,79,58,477 |
| 6 से 8 | प्र0 | 12.34 | 8.84 | 11.20 | 3.67 | 2.79 3.39 | | | | |
| | प्रतिशत में वृद्धि | 2.77 | 1.97 | 2.46 | 0.62 | 0.12 0.45 | | | | |
| | 1973 सं0 | 5,00,746 | 1,15,963 | 6,16,709 | 1,45,522 | 47,406 | 1,92,928 | 56,39,009 | 20,75,086 | 77,14,095 |
| | प्र0 | 8.80 | 5.59 | 7.99 | 2.58 | 2.28 | 2.50 | | | |
| 9 से 12 | 1978 सं0 | 6,80,466 | 1,86,747 | 4,67,213 | 1,84,723 | 67,287 | 2,52,010 | 63,26,870 | 25,45,271 | 88,72,141 |
| | प्र0 | 10.75 | 7.31 | 9.77 | 2.31 | 2.64 | 2.84 | | | |
| | प्रतिशत में वृद्धि | 1.95 | 1.72 | 1.78 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | | | |

श्रोत : जनगणना, 2011

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1971 में भारतवर्ष की कुल जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 30 प्रतिशत लोग साक्षर थे। साक्षरता का प्रतिशत गांवों (पुरूष 33.77 प्रतिशत, महिलाएं 13. 17 प्रतिशत, कुल 23.74 प्रतिशत) की अपेक्षा नगरों (पुरूष 61.28 प्रतिशत, महिलाएं 42.14 प्रतिशत कुल 52.45 प्रतिशत) में अधिक है। अपने जाति समूहों में 14.67 प्रतिशत अनुसूचित जाति 11. 30 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 33.81 प्रतिशत सामान्य जाति के लोग साक्षर थे। पुरूषों में साक्षरता का प्रतिशत 39.46 एवं स्त्रियों का प्रतिशत 18.67 से अधिक था। सामान्य जाति की साक्षरता का प्रतिशत 33.81, अनुसूचित जाति का प्रतिशत 14.67 एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 11.30 से अधिक था। अनुसूचित जाति 14.67 प्रतिशत के लोगों का अनुसूचित जनजाति 11.30 प्रतिशत से अधिक साक्षर हैं और इन्हीं जातियों में पुरूष एवं महिलाओं में महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति 6.44 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4.85 प्रतिशत की साक्षरता एवं पुरूषों में अनुसूचित जाति 22. 24 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 17.63 प्रतिशत से कम है। ग्रामीण महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत अनुसूचित जाति 5.06 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4.36 प्रतिशत जो बहुत ही कम है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जहाँ तक साक्षरता का प्रश्न है। अपने देश में अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति की स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। इनकी इस दयनीय स्थिति का कारण प्राचीन समय से ही इन जातियों को समाज द्वारा उपेक्षित किया जाना रहा है। इसी कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं ने समाज के ऐसे वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया था। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार –"राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

इसी प्रकार देश में अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति को शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। भले ही कुछ लोग लोकतान्त्रिक भारत में समानता और सिद्धान्त के आधार पर आरक्षण का विरोध करें किन्तु यह उचित कहा जायेगा। इन जातियों के लिए जो कि एक लम्बे समय से कष्ट और असुविधाएं सहती आ रही हैं इस प्रकार का सुरक्षात्मक पक्षपात (प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन) उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। यह संरक्षण समाज के सभी प्रकार के भौतिक और बौद्धिक संस्कृति में उनके समान रूप से सम्मिलित होने के लिए रास्ता

तैयार करेगा। इस प्रकार वे भी स्वतन्त्र भारत के योग्य नागरिक बनकर उसके विकास में अपनी सम्यक् भूमिका निभाने में समर्थ हो सकेंगे।

## निष्कर्ष:

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्र भारत में लोकतान्त्रिक व्यवस्था होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तित्व के सम्यक् विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। किन्तु साक्षरता को जब शिक्षा के मानदण्ड के रूप में मानकर भारत में साक्षरता को देखते हैं तो स्थिति उचित नहीं प्रतीत होती है। यहाँ लगभग आधे पुरूष और तीन चौथाई महिलाएं अशिक्षित हैं। विभिन्न राज्यों में साक्षरता में असमानता है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति में जो कि कुल जनसंख्या के लगभग 24 प्रतिशत लोग हैं उनकी साक्षरता अन्य जाति के लोगों की अपेक्षा काफी कम है।

अतः राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इन जातियों में भी साक्षरता की वृद्धि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजातियों के समुचित विकास (शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक आदि) के लिए अपने देश में अनेक शासकीय एवं गैर शासकीय प्रयास किये गये हैं जिनका विवरण अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के उत्थान के प्रयास शीर्षक के अन्तर्गत आगे प्रस्तुत किया गया है।

## संदर्भ–सूचि :

1. दि डायलाग्स आफ प्लेटो, अनुवादक बी0 जावेद, वाल्यूम 1, न्यूयार्क रेन्डम हाउस, 18वाँ मुद्रण, पृ0 638–640
2. राबर्ट, ए0 दहल (1883) : मार्डन पोलिटिकल एनालिसिस, इण्डिया प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ0 5 ,
3. लुईस वासरमैन (1944) : मार्डन पोलिटिक्स फिलासफीज् एण्ड वाट वे मीन, हाल क्यान हाउस, मार्डन सिटी, न्यूयार्क, पृ0 12
4. ज़ॉन डीवी (1960) : डेमोक्रेसी एण्ड एजूकेशन, मैकमिलन कम्पनी, न्यूयार्क, पृ0 115
5. आत्मानन्द मिश्र (1969) : शैक्षणिका, ओरियन्ट लींगमेन्स लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ0 21

6. प्रो0 सलामत उल्ला (1979) : एजूकेशन इन दि सोशल कानटैक्ट, एन0सी0ई0आर0टी0 मैकमिलन इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, पृ0 64
7. जार्ज काउन्ट एवं अन्य (1945) : रीहिंग्स इन दि फाउन्डेशनस ऑफ एजूकेशन, ब्यूरो ऑफ पब्लिकेशन, टीचर्स कॉलेज, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क।
8. आत्मानंद मिश्र (1969) : शैक्षणिका, ओरियन्ट लौंगमेन्ट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ0 22
9. सुबोध अदावल एवं कन्हैया लाल अग्रवाल (1978) : शिक्षा के सिद्धान्त, मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ0 8
10. सीताराम जायसवाल (1966) : प्रिंसिपल्स ऑफ एजूकेशन, वीरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्रा0 लि0, पृ0 157